न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3944–पीबीआर/15 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 2–11–2015 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 2/अ–70/2015–16.

उसमान आ. रमज़ान खॉ
निवासी ग्राम परेवा खेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

प्रभुदयाल मीना आ. धनसिंह मीना
निवासी ग्राम परेवा खेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री सुनील जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम परेवा खेड़ा तहसील हुजूर भोपाल स्थित खसरा कमांक 144/1, खसरा कमांक 155 रकबा कमशः 0.090 हेक्टेयर एवं 1.430 हेक्टेयर भूमि का दिनांक 23–6–2014 को सीमांकन कराया गया है, जिसमें खसरा कमांक 144/1 रकबा

0.090 हेक्टेयर पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः आवेदक को बेदखल कर अनावेदक को आधिपत्य दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–70/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । आवेदक की ओर से दिनांक 14–10–2015 को जवाब एवं संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण जवाब का उत्तर एवं साक्ष्य हेतु दिनाक 2–11–2015 की तिथि नियत की गई, और दिनांक 2–11–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया कि प्रकरण में अनावदेक द्वारा जवाब का औचित्य नहीं होने से जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अनावेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदक की निगरानी प्रकरण कमांक 2560–पीबीआर/15 इस न्यायालय में प्रचलित है, अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में विचाराधीन निगरानी के अंतिम निराकरण तक संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है तो इस न्यायालय के समक्ष लंबित निगरानी का उद्देश्य समाप्त हो जावेगा । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 पर कोई विचार नहीं कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के आवेदन पत्र का अनावेदक ने कोई उत्तर नहीं दिया गया है, और नहीं कोई खण्डन किया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदक का आवेदन पत्र को मान्य किया जाना चाहिए था । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस आदेश दिनांक के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें तहसील न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी व्यर्थ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रकरण को

येन–केन–प्रकारेण लंबित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 2–11–2015 द्वारा तहसीलदार ने किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया है । अनावेदक की यह आपत्ति सही प्रतीत होती है कि आवेदक ने यह निगरानी मात्र प्रकरण को लम्बि रखने के लिए पेश किया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर